ए. पी. राज्य सड़क परिवहन निगम, हैदराबाद, प्रबंधक निदेशक द्वारा प्रस्तुत

बनाम्

पी. वैंकैया एवं अन्य

अप्रैल 28, 1997

[के. रामास्वामी और डी. पी. वाधवा, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984:

क्षतिपूर्ति बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा बिक्री विलेखों पर रिलायंस का क्षतिपूर्ति पुरस्कार आयोजित, बिक्री से जुड़े व्यक्तियों की जांच और आवश्यक दस्तावेजों के लिए पक्षकार-इसलिए संशोधित संदर्भ न्यायालय के पुरस्कार को पक्षकारों को नए सिरे से साक्ष्य प्रस्तुत करने और उस पर विचार करने का अवसर देने के बाद मामले के नए सिरे से निपटारे के लिए संदर्भ न्यायालय को भेजे गए मामले को अलग कर दिया जाता है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयनः सिविल अपील सं. 3404/1997 .

ए. सं. 2064 1986 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 16.08.1993 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से अतिरिक्त सॉलिटिर जनरल अल्ताफ अहमद और बी. पार्थसारथी ने पक्ष रखा।

उत्तरदाताओं के लिए सी. के. सुचरिता और बी. कांता राव।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

प्रतिस्थापन की अनुमति है।

छुट्टी दे दी गई।

पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में ' अधिनियम ') की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना 7 जुलाई, 1977 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें सूर्यपेट नलगोंडा जिले (ए. पी.) के पास बछिराघ गांव की 14 एकड़ 32 गुंटा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। बस स्टैंड परिसर के निर्माण के उद्देश्य से। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 7500/- रूपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया। उप-न्यायालय ने संदर्भ पर 3.60 लाख रूपये प्रति एकड़ विचारशील मुआवजे का फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने इसे घटाकर 2,25,000/- प्रति एकड़ कर दिया। पर अब विवाद नहीं है कि म्गेस मुआवजे को बढ़ाने के लिए ए-2, ए-9 और ए-11 पर भरोसा किया गया। मान लीजिए, दस्तावेज से जुड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है अर्थात्, न तो विक्रेता की और न ही विक्रेता की जांच की गयी है। यह कुमारी वीरैया और अन्य में न्यायालय। वी. ए. पी. राज्य, ख्1995, 4 एस. सी. सी. 136 कि विक्रेता के माध्यम से कोई साक्ष्य जोड़ने के अभाव में, दस्तावेज पर स्वयं भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसे बिहार राज्य बनाम महेश्वर प्रसाद ख्1996, 6 एस. सी. सी. 197 धारा 51-ए के तहत बिक्री विलेख की प्रमाणित प्रति की स्वीकृति केवल मूल बिक्री विलेख के

उत्पादन से संबंधित है लेकिन यह प्रमाण के साथ वितरित नहीं करता है। दस्तावेजों की सामग्री, सापेक्ष विशेषताओं की तुलना में 193, अधिग्रहण के तहत भूमि। व्यक्तियों की जाँच करके सब कुछ साबित करने की आवश्यकता है। उसी के साथ और दस्तावेज के पक्षों के साथ जुड़ा हुआ। उपरोक्त अनुपात के बाद, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय और संदर्भ न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से अवैध है।

तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। संदर्भ न्यायालय का निर्णय और पुरस्कार संशोधित स्थिति के रूप में अपास्त कर दिया गया मामले को नए सिरे से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के बाद मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए संदर्भ न्यायालय को भेजा जाता है और उसी पर विचार किया जाता है। कोई लागत नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

जीएन